न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 125/2020
3. उनवान : सरकार जरिये बालशंकर शर्मा प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री बोदूराम यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, निवासी ढेर की ढाणी, ग्रा.प. खोरी तहसील शाहपुरा हाल निवासी प्लाट नं. 78 सी, शांति नगर, गुर्जर की थडी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
2. श्री राजीव कुमार गोदारा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गोदारा निवासी 21/251, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर।
3. श्री भागीरथ यादव, मालिक फर्म बीएमवाई एण्ड कम्पनी, 78सी, शांति नगर, गुर्जर की थडी, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 08.04.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री सुरेश चन्द पारीक अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) श्री राजेन्द्र सिंह महला अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री बालशंकर शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मय फर्द मौका जांच, फर्द अभिग्रहण, फर्द पूछताछ, सुपुर्दगीनामा तथा एफ.आई.आर. की प्रति आदि दिनांक 22.06.2009 को पेश की गई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2008 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी, जयपुर के निर्देशानुसार वाहन में घरेलू एलपीजी को यांत्रिक ईंधन के रुप में दुरुपयोग की शिकायत की जांच करने प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रुबरु मौतबिरान के मैसर्स बीएमवाई एण्ड कम्पनी, 78 सी, शांतिनगर, गुर्जर की थडी पहुंच कर जांच की गई। मौके पर मेटेलिक रंग की मारूति एल्टो नम्बर आरजे–14–7सी–0687 में एलपीजी संपरिवर्तन किट के गैस टेंक में आईओसी के एक 14.2 किलोग्राम क्षमता के घरेलू प्रवर्ग के सिलेण्डर एसआर नम्बर 065667 को उल्टा रखकर नलियों व रेग्यूलेटर द्वारा एक विद्युत चलित मोटर से जोडा जाकर एलपीजी को मोटर की सहायता से मारूति एल्टो के गैस टैंक(एसआर न. 8398 टेयर वेट 23 किग्रा. एंजल खुदा हुआ क्षमता 60 लीटर) में अन्तरण किया जाना पाया गया जिसे मौके पर बन्द करवाया। मौके पर त्रिवेणी गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री हरि सिंह को मय वेईग मशीन बुलाकर सिलेण्डर का तौल कराने पर सिलेण्डर में 7.6 किलोग्राम गैस पाई गई। अर्थात वक्त जांच 6.6 किग्रा. गैस घरेलू सिलेण्डर से गैस किट में भरी जा चुकी थी। जांच करने पर उक्त परिसर में एक एचपीसी सिलेण्डर एसआर नम्बर 289196 रखा पाया गया जो खाली था। उक्त सिलेण्डरों के अतिरिक्त 3 अन्य इलेक्ट्रिक मोटर मय रेग्यूलेटर, गैस पाईप व इलेक्ट्रीक वायर के रखी पायी गई। मौके पर गैस अन्तरण का कार्य श्री बोदूराम यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद द्वारा श्री राजीव कुमार गोदारा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गोदारा की मारुति आल्टो कार में किया जा रहा था। श्री बोदूराम यादव ने बताया कि यह व्यापार स्थल श्री भागीरथ यादव है और उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से मोटर की सहायता से कारों में लगे गैस किटों में 50 रुपये प्रति सिलेण्डर की दर से भरता है। सिलेण्डर स्वयं कार मालिक को लाना पडता है। मौके पर उपस्थित कार चालक श्री राजीव ने बताया कि

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

यह कार उनके पिता श्री राजेन्द्र कुमार की है एवं इस गाडी में उसके द्वारा लाये गये सिलेण्डर से 50 रु. में गैस भरवाई जा रही है। मौके पर जांच करने पर उक्त गैस अन्तरण का कार्य बिना विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया गया, गैस अंतरण के समय सिलेण्डर उल्टा रखा जाना पाया गया,घरेलू प्रवर्ग की एलपीजी का दुरुपयोग यांत्रिक ईधन के रुप में किया जाना पाया गया, आईओसी व एचपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर बिना विधिक दस्तावेज के कब्जे में पाया गया। अतः मौके पर श्री बोदुराम व श्री राजीव कुमार द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। बतौर सबूत आईओसी का एक घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें शुद्ध गैस 7.600 किग्रा., एक एचपीसी का खाली सिलेण्डर, 4 विद्युत चलित मोटर मय रेग्यूलेटर, इलेक्ट्रिक वायर तथा मारुति अल्टो कार आरजे–14–7सी–0687 मेटेलिक कलर मय गैस किट जिसकी टेंक सं. 8398 है को कब्जे राज लिया एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मानसरोवर जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 244 दिनांक 6.6.2009 दर्ज कराकर पुलिस थाने में सम्भलाया गया।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, क्षयशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए के तहत आदेश दिनांक 08.06.2009 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें।

2. अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषकगणों क्रमशः दिनांक 07.06.2009 व 11.06.2009 को वकालतनामा पेश किया। गाडी मालिक अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश कर गाडी को रिलीज करने का निवेदन किया गया था। उसके उपरान्त अप्रार्थी के जमानतनामा पेश करने पर न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा मोचन आदेश (रिलीज आर्डर), जिला रसद अधिकारी जयपुर व एस. एच.ओ. मानसरोवर, जयपुर को जारी किये गये। दिनांक 15.07.2009 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वारा गाडी मालिक का सुपुर्दगीनामा पेश किया गया। तत्पश्चात लम्बे समय तक सुनवाई पर रखे जाने के बाद भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया।

4. पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

5. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा गैस अन्तरण के कार्य के लिये विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति से संबंधी व घरेलू गैस सिलेण्डर संबंधी कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर घरेलू प्रवर्ग की एलपीजी का दुरुपयोग यांत्रिक ईंधन के रुप में किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा दो घरेलू गैस सिलेण्डर मय 7.600 किग्रा., 4 विद्युत चलित मोटर मय रेग्यूलेटर, इलेक्ट्रिक वायर को राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

7. हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन तथा पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा जब्त सिलेण्डरों, मारुति आल्टो कार, रेग्यूलेटर,इलेक्ट्रिक वायर व गैस किट के माध्यम से सिलेण्डरों से अवैध रुप से गैस वाहनों में भरी जा रही थी, जिसकी वैधता बाबत अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश नहीं किया है और ऐसे अवैध कार्य में जनहानि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक मारुति आल्टो कार की बात है, वह भी उक्त अवैध कार्य में संलिप्त पाई गई है ना कि साक्ष्य के रुप मे जब्त की गई है और उक्त वाहन के अन्तरिम निस्तारण के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 का अनुपस्थित रहना व कोई जवाब पेश नहीं करना, इसकी पुष्टि करता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है और दिनांक 06.06.2009 को जब्त आईओसी का एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय 7.600 किग्रा. एलपीजी, एक एचपीसी का खाली सिलेण्डर, 4 विद्युत चलित मोटर मय रेग्यूलेटर, इलेक्ट्रिक वायर व मारुति आल्टो कार संख्या आरजे–14–7सी–0687 को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वह राजसात किये गये सिलेण्डर कुल 2 सिलेण्डरों, 4 विद्युत मोटर मय रेग्यूलेटर व इलेक्ट्रिक वायर व मारुति आल्टो कार संख्या आरजे–14–7सी–0687 का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।